Writ petition (C) No-116 of 1998 Justice Sunanda Bhandare Foundation vs Union of India & Ors. के न्यायादेश के संबंध में विभिन्न विभागों हेतु RPWD Act 2016 के शेष बिन्दुओं के अनुपालनार्थ दिनांक-29.07.2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही।

सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, द्वारा बैठक में आये हुए विभागों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया तथा Writ petition (C) No-116 of 1998 Justice Sunanda Bhandare Foundation vs Union of India & Ors. वाद के बारे में बताया गया तथा आगामी 19.08.2019 को इस वाद की निर्धारित तिथि की महत्ता बतायी गयी। तदनुपरांत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धाराओं के अनुपालन हेतु बिन्दुवार समीक्षा की गई। संबंधित धाराओं के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है :-

1. धारा-7 :- RPWD Act 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नीति में दिव्यांगजन हेतु किसी भी तरह की भेद-भाव नहीं किया जाता है। साथ ही गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांगजनों का दुरूपयोग, हिंसा एवं शोषण के सभी रूपों से संरक्षण की कार्रवाई की जाती है।

2. धारा-8 :- RPWD Act 2016 की धारा 8 की कंडिका- 1,2 एवं 3 का अनुपालन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किये गए हैं यथा- शिक्षा सामग्री, क्षमतावर्द्धन। RPWD Act 2016 के धारा 8(3) के अनुपालन हेतु आपदा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्वाचन विभाग के वोटर लिस्ट एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता के सहायता से जिलों के ऐसे दिव्यांगजनों की लिस्ट तैयार कर रिकार्ड संधारण किया जा रहा है।

3. धारा-11 :- निर्वाचन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धारा का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है।

4. धारा-12 :- RPWD Act 2016 की धारा 12 के उपधारा (1) एवं (2) का अनुपालन विधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त धारा की उपधारा (3) के अनुपालन हेतु अवगत कराया गया कि 37 जिलों में 50 अधिवक्ताओं का पैनल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों हेतु न्याय तक पहुँच के सहायतार्थ अनुमंडल स्तर पर भी अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त 21 Alternate Dispute Resolution (ADR) centre हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। उक्त धारा की उपधारा (4) के अनुपालन हेतु विधि विभाग द्वारा अवगत

कराया गया कि Digitization का कार्य चल रहा है जो दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य है। अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सावर्जनिक दस्तावेज/ पत्र को मंगल फोंट (युनिकोड), जो दिव्यांगजनों हेतु सुगम है, में तैयार किये जाने से संबंधित पत्र मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से पूर्व में ही निर्गत किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन का निदेश दिया गया, जिस पर विधि विभाग द्वारा सहमति जताई गई।

5. धारा-16 :- शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में बिना भेद-भाव के प्रवेश करना, विद्यालयों को अवरोध मुक्त बनाना, व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार वास सुविधा प्रदान करना आदि एवं अन्य तरह की गतिविधियों को संचालित कर Act का अनुपालन किया जा रहा है।

6. धारा-17 :- इस आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों से संबंधित सर्वे वर्ष 2017 में किया जा चुका है। पुन: वर्ष 2019 में उक्त प्रकार का सर्वे जारी है।

7. धारा-18 :- प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य प्रायोजित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग हेतु अक्षर अंचल योजना चलाई जा रही है। इसमें दिव्यांगजन के संबंध में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।

8. धारा-19 :- उक्त धारा की उपधारा (1), 2(a), 2(b), 2(c) एवं 2(f) का अनुपालन श्रमसंसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही यह अवगत कराया गया कि दिव्यांगजनों के रोजगार एवं स्वनियोजन की दृष्टि से व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजनाए चलाई जा रही है। दिव्यांगजनों के रोजगार एवं स्वनियोजन हेतु शिविर आयोजित कर सहायता प्रदान की जा रही है। 533 दिव्यांगजनों को निबंधित कर व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण तथा भर्ती, प्रशिक्षण एवं तैनाती योजना के तहत दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देकर प्रमाणीकरण किया जा रहा है।

   उक्त धारा की उपधारा (e) के अनुपालन हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि सरस मेला के माध्यम से दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पाद की मार्केटिंग की जाती है।

9. धारा-21 :- उक्त धारा के अनुपालनार्थ समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु समान अवसर नीति, 2019 तैयार कर सभी विभाग को उसके अनुपालन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि शीघ्र ही अपने स्तर से दिव्यांगजनों हेतु समान अवसर नीति तैयार कर

अधिसूचित कर राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय, सिचांई भवन परिसर में एक प्रति निबंधित करवा दिया जाय।

10. धारा-23 :- लोक शिकायत निवारण हेतु राज्य के प्रत्येक विभाग में PGRO नियुक्त किये गए है। दिव्यांगजन से संबंधित शिकायत का निवारण भी उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जाता है। सरकारी सेवकों के संबंध में दिव्यांगजन की शिकायतों का निवारण बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. धारा-27 :- उक्त धारा के उपधारा (1) एवं (2) का अनुपालन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं श्रमसंसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त धारा के उपधारा (3) का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

12. धारा-33 :- सामान्य प्रशास विभाग द्वारा अनुपालन किया जा चुका है।

13. धारा-36 :- श्रमसंसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगजनों हेतु विशेष नियोजनालय स्थापित है।

14. धारा-37 :- उक्त धारा से संबंधित आदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत किया जा रहा है, जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से अपेक्षा की गई है कि उपरोक्त अधिसूचना अपने स्तर से निर्गत की जाए।

15. धारा-38 :- उक्त धारा के उपधारा (1) के अनुपालन हेतु राज्य आयुक्त, नि:शक्तता को अधिकृत कर आदेश निकाली जा रही है। उक्त धारा की उपधारा (2) का अनुपालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा चुका है।

16. धारा-41 :- सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों के सुगम्यता के लिए परिवहन विभाग द्वारा 219 बसो को Disabled Friendly बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य वाद राजीव रतुरी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में भी भवन, परिवहन, Website एवं Sign Language के माध्यम से सुगम्यता बनाया जा रहा है।

17. धारा-42 :- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिव्यांगजनों हेतु Website को सुगम्य बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है एवं माह जुलाई, 2019 में इसे Launch कर दिया जाएगा।

18. धारा-45-46 :- भवन निर्माण विभाग एवं शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कुल-21 भवनों में सुगम्यता हेतु निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें दो भवनों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

19. धारा-57 :- समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्तर से अधिसूचित कर दिया गया है।

20. धारा-85 :- विधि विभाग द्वारा उक्त धारा का अनुपालन किया जा रहा है। दो जिलों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष जिलों में उक्त अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तत्काल में ऐसी नियुक्ति होने तक उक्त वादों के संचालन हेतु इन जिलों के लोक अभियोजक को प्राधिकृत किया गया है।

बैठक में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा यह बतलाया गया कि उनके विभागों द्वारा संचालित किसी भी तरह की योजनाओं/ नीति आदि में दिव्यांगजनों के संबंध में किसी भी तरह का भेद-भाव नहीं बरता जाता है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह0/-

(सुजाता चलाना)
विशेष सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 1/दि0स0नि0-कोर्ट-11/2018 657 पटना, दिनांक- 29.7.19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ गृह विभाग/ शिक्षा विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ नगर एवं आवास विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ स्वास्थय विभाग/ विधि विभाग/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/ पथ निर्माण विभाग/ परिवहन विभाग/ निर्वाचन विभाग/ सूचना प्रावैधिकी विभाग/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ राज्य आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना एवं मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.7.19

विशेष सचिव,
समाज कल्याण विभाग।